संख्या-111/2022/861/22-2-2021-17(485)/2021

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 31 जुलाई, 2022*

विषय:-जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रम्मन लाल पुत्र स्व0 जागन लाल, निवासी जनपद-बरेली की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4324/प्रोबे-5-दया0 बैठक-11-02-2021 दिनांक 22-02-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रम्मन लाल पुत्र स्व0 जागन लाल, जो-चम्पतपुर, थाना-भमौरा, जनपद-बरेली का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जमीनी विवाद को लेकर पूर्व से चली आ रही रंजिश के कारण दिनांक 26.06.1990 को 03 सहअभियुक्तों के साथ देशी पिस्तौल से गोली मारकर नीम के पेड़ के नीचे सो रहे सूरजपाल नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-260/1991 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-02, बरेली के आदेश दिनांक 25.06.1993 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.11.2014 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 24.11.2020 तक 05 वर्ष 10 माह 17 दिन की अपरिहार सजा तथा 07 वर्ष 05 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बरेली ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने से इंकार नहीं किया जा सकने, पुन: अपराध करने की पूर्ण संभावना होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति ने बन्दी द्वारा जमीनी विवाद को लेकर पूर्व से चली आ रही रंजिश के कारण दिनांक 26.06.1990 को 03 सहअभियुक्तों के साथ देशी पिस्तौल से गोली मारकर नीम के पेड़ के नीचे सो रहे सूरजपाल नामक व्यक्ति की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट बरेली द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी रम्मन लाल (बन्दी संख्या-69/2015) पुत्र स्व0 जागन लाल, निवासी जनपद-बरेली की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-111/2022/861(1)/22-2-2021 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, बरेली।

2-अधीक्षक, जिला कारागार, बरेली।

3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।